FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

मदनलाल बनाम उदा वर्गो

किस्म मुकदमा – 111-128 RTA नम्बर 83/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/04/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
18/04/2024	पत्रावली पेश [illegible] [illegible]क वादी/प्रतिवादी उपस्थित [illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/4/24 [illegible] वास्ते A/O/G पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 29/4/24 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
29/4/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय/आदेश पृथक से लिखवाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 83/2024 तारीख दायर 03/04/2024

1. मदनलाल पिता देबीलाल जाति व्यास उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

............प्रार्थी

बनाम्

1. उदा पिता हजारी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. सीता देवी पत्नि बालू जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. लादुलाल पिता मोहन जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 29/04/2024

प्रार्थना पत्र दीपक मीणा ने जरिये अभिभाषक श्री **ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 67 पर अंकित आराजी संख्या 326/12 रकबा 1.9425 हे0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक कास्यां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

.....................निरन्तर पेज संख्या 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 67 पर अंकित आराजी संख्या 326/12 रकबा 1.9425 हे0 भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 83/2024 तारीख दायर 03/05/2024

प्रेषिति :–तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या 83/24पत्थरगढ़ी बाबत्।

1. **मदनलाल पिता देबीलाल जाति व्यास उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**

............प्रार्थी

बनाम्

1. **उदा पिता हजारी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**
2. **सीता देवी पत्नि बालू जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**
3. **लादुलाल पिता मोहन जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0**

..........विपक्षीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 67 पर अंकित आराजी संख्या 326/12 रकबा 1.9425 हे0 भूमि** की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/–रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण अदा करेगें। पत्थरगडी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुये पत्थरगडी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा